फर्द अहकाम

अज अदालत–न्यायालय जिला कलक्टर–मुकाम–भरतपुर

रमेश चन्द बनाम लो.सू.अधि. जिला कलक्टर, भरतपुर

किस्म मुकदमा अपील **RTI** नम्बर ..18. सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
16.04.2024	प्रार्थी/अपीलान्ट रमेश चन्द निवासी ग्राम व पोस्ट जाटौली रथभान तहसील व जिला भरतपुर की यह अपील आर टी आई के तहत जिला कलक्टर भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अपील के साथ संलग्न फोटो प्रति पत्रादि से जाहिर है कि प्रार्थी ने आर.टी.आई. के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र में लोक सूचना अधिकारी जिला कलक्टर, भरतपुर अंकित किया गया है। जबकि कार्यालय रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि इस कार्यालय के पत्रांक सामान्य/आरटीआई(10)/2024/799–800 दिनांक 23.01.2024 से मूल प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भरतपुर एवं अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भरतपुर को प्रेषित कर दिया गया था एवं प्रार्थी को भी पत्रांक 801–802 दिनांक 23.01.2024 द्वारा जरिये पत्र सूचित कर दिया गया था। अतः चाही गई सूचना जिला कलक्टर, भरतपुर के स्तर पर लम्बित न होकर लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भरतपुर एवं अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भरतपुर के स्तर पर लम्बित है। आर.टी.आई. एक्ट के तहत लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भरतपुर **एवं** अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भरतपुर के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः प्राप्त मूल अपील वापस लौटाई जाकर अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह नियमानुसार सीधे ही सक्षम अधिकारी को अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। Sd/- **जिला कलक्टर** **भरतपुर**	284 29/04/24 मूल अपील वापिस लौटाई।